

न्यायालय उपजिलाधिकारी, खेरागढ जिला आगरा

वाद सं० 14/14-15
श्रीमती मिथिलेश

वनाम

उ०प्र०सरकार

मौजा सिक्करपुर

अन्तर्गत धारा-143 ज०वि०अधि०

दि-18-4-15

मौजा सिक्करपुर

तहसील खेरागढ जिला आगरा।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र दिनांक 15-04-15 पर प्रारम्भ हुयी। आवेदिका का कथन है कि वह मौजा सिक्करपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा के खाता सं० 366 के गाटा सं० 1170 रकवा 1-0010 है० में से 1/2 भाग रकवा 0-5005 है० व गाटा सं० 1169 रकवा 0-3310 का 1/2 भाग 0-1655 है० व खाता सं० 494 के गाटा सं० 1177 रकवा 0-5070 व गाटा सं० 1194 रकवा 0-6220 व गाटा सं० 1189 रकवा 0-5420 का पूर्ण भाग तथा खाता सं० 209 के गाटा सं० 1115 रकवा 0-4430 है० भूमि कुल किता-6 कुल रकवा 2-7800 है० भूमि लगान 55-80 रुपये भाग में कोई फसल नहीं बोई है, तथा उक्त भूमि पर चिकित्सालय निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त भूमि को अकृषकीय प्रयोग में लेना चाहते हैं। उक्त भूमि को अकृषकीय घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक,सैया से आख्या मॉगी गई, राजस्व निरीक्षक,सैया ने नियम-135(1) ज०वि०अधि० के तहत नियत प्रारूप के साथ विस्तृत आख्या प्रस्तुत करते हुये लिखा है कि प्रश्नगत सम्पत्ति मौजा सिक्करपुर के खाता सं० 366 के गाटा सं० 1170 रकवा 1-0010 है० में से 1/2 भाग रकवा 0-5005 है० व गाटा सं० 1169 रकवा 0-3310 का 1/2 भाग 0-1655 है० व खाता सं० 494 के गाटा सं० 1177 रकवा 0-5070 व गाटा सं० 1194 रकवा 0-6220 व गाटा सं० 1189 रकवा 0-5420 का पूर्ण भाग तथा खाता सं० 209 के गाटा सं० 1115 रकवा 0-4430 है० भूमि कुल किता-6 कुल रकवा 2-7800 है० भूमि लगान 55-80 रुपये भाग भूमि पर प्रार्थिया का नाम बतौर सं०भू० के रूप में अंकित है तथा मौके पर काबिज व दखील है। उक्त भूमि कृषि,बागवानी, पशुपालन, जिसमें कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन भी है, के प्रयोग में नहीं आ रही है। उक्त पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त कराई है। उक्त भूमि में मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, पक्ष को सुनने के उपरान्त मैंने पत्रावली का सम्यक परीक्षण किया कि मौजा सिक्करपुर के खाता सं० 366 के गाटा सं० 1170 रकवा 1-0010 है० में से 1/2 भाग रकवा 0-5005 है० व गाटा सं० 1169 रकवा 0-3310 का 1/2 भाग 0-1655 है० व खाता सं० 494 के गाटा सं० 1177 रकवा 0-5070 व गाटा सं० 1194 रकवा 0-6220 व गाटा सं० 1189 रकवा 0-5420 का पूर्ण भाग तथा खाता सं० 209 के गाटा सं० 1115 रकवा 0-4430 है० भूमि कुल किता-6 कुल रकवा 2-7800 है० भूमि लगान 55-80रुपये भूमि अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। वर्तमान में उपरोक्त भूमि श्रीमती मिथिलेश भदौरिया पत्नी श्री एच०आर०भदौरिया सचिव, शिवांगी जन कल्याण समिति, निवासी 51/216 शांतिकुंज वैस्ट अर्जुननगर, आगरा का नाम तहसील खेरागढ के भू-अभिलेखों में बतौर सहखातेदार सं०भू० दर्ज है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा खेरागढ के खाता सं० 366 के गाटा सं० 1170 रकवा 1-0010 है० में से 1/2 भाग रकवा 0-5005 है० व गाटा सं० 1169 रकवा 0-3310 का 1/2 भाग 0-1655 है० व खाता सं० 494 के गाटा सं० 1177 रकवा 0-5070 व गाटा सं० 1194 रकवा 0-6220 व गाटा सं० 1189 रकवा 0-5420 का पूर्ण भाग तथा खाता सं० 209 के गाटा



TRUE COPY
SECRETARY
S.R.S. Ayurvedic Medical College And Hospital
Shikandarpur, Gwalior Road, AGRA

